

## इस्पात मंत्रालय

## मांग संख्या 73

## इस्पात मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूंजी	जोड़	...	...	...	...	...	...	
	1.50	44.73	46.23	...	418.95	418.95	10.00	62.41	72.41	
	13.50	4.00	17.50	10.00	4.00	14.00	14.00	2.00	16.00	
	<b>15.00</b>	<b>48.73</b>	<b>63.73</b>	<b>10.00</b>	<b>422.95</b>	<b>432.95</b>	<b>24.00</b>	<b>64.41</b>	<b>88.41</b>	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.69	6.69	...	6.47	6.47	...	6.70	6.70
<b>लौह और इस्पात उद्योग</b>										
2 सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
2.01 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	6852	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	2.00	2.00
3. सब्सिडी										
3.1 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को पुनरोद्धार योजना के सम्बन्ध में लेखा समायोजन	2852	...	33.45	33.45	...	27.00	27.00	...	35.00	35.00
3.2 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि. द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी	2852	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92
3.3 भारतीय इस्पात प्राधिकरण और उसकी सहायक भारतीय लौह और इस्पात कं. लि. के लिए सब्सिडी										
-भारत सरकार के ऋणों की माफी के लिए	2852	...	...	...	...	216.39	216.39	...	...	...
-भारत सरकार के ऋणों के ब्याज की माफी के लिए	2852	...	...	...	...	164.61	164.61	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	381.00	381.00	...	...	...
3.4 भारतीय इस्पात प्राधिकरण और उसकी सहायक भारतीय लौह और इस्पात कं. लि. के लिए सब्सिडी	2852	...	...	...	...	...	...	...	16.25	16.25
	जोड़	...	34.37	34.37	...	408.92	408.92	...	52.17	52.17
4. सार्वजनिक उद्यमों को स्वै. से. निवृत्ति हेतु अनुदान सहायता										
4.1 भारत रिफ्रेक्टरीज लि.	2852	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
5. सरकारी उद्यमों में निवेश	4852	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
	6852	13.00	...	13.00	10.00	...	10.00	13.50	...	13.50
	जोड़	13.50	...	13.50	10.00	...	10.00	14.00	...	14.00
6. अन्य कार्यक्रम	2852	...	3.67	3.67	...	3.56	3.56	...	3.54	3.54
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	2552	1.50	...	1.50	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>15.00</b>	<b>48.73</b>	<b>63.73</b>	<b>10.00</b>	<b>422.95</b>	<b>432.95</b>	<b>24.00</b>	<b>64.41</b>	<b>88.41</b>
<b>ग. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
5.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	12852	...	800.00	800.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
5.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	12852	...	110.00	110.00	...	156.33	156.33	...	60.00	60.00
5.03 स्पांज आयरन इंडिया लि.	12852	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
5.04 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि.	12852	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	4.00	...	4.00
5.05 भारत रिफ्रेक्टरीज लि.	12852	4.00	17.00	21.00	3.50	17.00	20.50	4.00	10.40	14.40
5.06 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	12852	...	449.11	449.11	...	135.64	135.64	...	301.00	301.00
5.07 कुद्रमुख लौह अयस्क कम्पनी लि.	12852	...	186.00	186.00	...	186.00	186.00	...	282.00	282.00
5.08 मैग्नीज ओर इंडिया लि.	12852	...	11.77	11.77	...	12.60	12.60	...	11.60	11.60
5.09 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज	12852	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	1.00	2.00	3.00
5.10 मैकान लि.	12852	...	4.85	4.85	...	5.00	5.00	2.00	5.00	7.00
5.11 एम एस टी सी लि.	12852	...	0.50	0.50	...	5.15	5.15	...	1.35	1.35
5.12 फेरो स्क्रेप निगम लि.	12852	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
5.13 अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन	12852	...	95.00	95.00	...	95.00	95.00	...	96.65	96.65
<b>जोड़</b>		<b>13.50</b>	<b>1689.23</b>	<b>1702.73</b>	<b>10.00</b>	<b>1127.72</b>	<b>1137.72</b>	<b>14.00</b>	<b>1285.00</b>	<b>1299.00</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. लोहा और इस्पात	12852	15.00	1689.23	1704.23	10.00	1127.72	1137.72	24.00	1285.00	1309.00
<b>जोड़</b>		<b>15.00</b>	<b>1689.23</b>	<b>1704.23</b>	<b>10.00</b>	<b>1127.72</b>	<b>1137.72</b>	<b>24.00</b>	<b>1285.00</b>	<b>1309.00</b>

1. **सचिवालय:** इसके अन्तर्गत इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण:** इसमें बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी आदि के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **सब्सिडियां:**

**निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रावधान किया गया है:**

(क) **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटेड:**

(i) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वी आर एस) के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए

(ii) भारत सरकार द्वारा नकदी ऋण और बैंक गारंटी के लिए दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क की माफी के लिए, और

(ख) **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड:**

(i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी।

(ii) भारत सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी लिमिटेड को दिए गए ऋणों और उन पर ब्याज की माफी के लिए

4. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए सरकारी उद्यम को सहायता-अनुदान:** यह प्रावधान भारत रिफ्रेक्टरीज लि. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

5. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न कार्यशील पूंजी स्कीम कार्यान्वित करने के लिए इन उद्यमों को इक्विटी निवेश और ऋण के रूप में बजटीय सहायता दी जाती है। इन उद्यमों के बजट समर्थन की इक्विटी और ऋणवार ब्यौरे और आ.ब.बा.स. व्यय बजट स्पण्ड-1 में दर्शाये गए हैं।

6. **अन्य कार्यक्रम:** इस में लौह और इस्पात विकास आयुक्त, मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय और प्रख्यात धातु विज्ञानियों के पुरस्कारों पर प्रतिवर्ष होने वाला संगठनात्मक व्यय शामिल हैं।

5.01 **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड:** इसके नियंत्रणाधीन बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और सालेम स्टील प्लांट और छह मुख्य इस्पात संयंत्र हैं। इंडियन आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड (आई.आई.एस.सी.ओ.) जिसके स्वामित्वाधीन बर्नपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों/एककों तथा इसकी सहायक कम्पनियों का आयोजनागत परिव्यय आन्तरिक तथा अतिरिक्त, बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

(i) **बोकारो इस्पात कारखाना:** परिव्यय में 100 एटीए मेन स्टीम पाइपलाइन आदि का प्रतिस्थापन, संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) आदि और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(ii) **भिलाई इस्पात संयंत्र:** शामिल की गई मुख्य योजना सिन्टर प्लान्ट सं. III की स्थापना है। अन्य स्कीमों में सिन्टर फाइनों का परिवहन, फ्लक्स भण्डारण और रिक्लेमिंग सुविधाएं, आदि, संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) आदि और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(iii) **राउरकेला इस्पात संयंत्र:** परिव्यय में सिन्थेसिस गैस उत्पादन के लिए सुविधा, संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) आदि, पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल हैं।

(iv) **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र:** परिव्यय में शामिल मुख्य योजना ब्लास्ट फर्नेस सं. 3 का पुनर्निर्माण है, अन्य स्कीमों में विद्युत संयंत्र में बायलर सं. 5 और 6 में आमूल परिवर्तन, संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन और पूर्ण योजनाओं के लिए संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(v) **मिश्र धातु इस्पात संयंत्र:** परिव्यय में परियोजना आय सुधार सुविधाओं पर व्यय और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(vi) **सलेम इस्पात संयंत्र:** परिव्यय में संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) आदि और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान

हेतु है।

(vii) **भारतीय लौह और इस्पात क. लि.:** प्रावधान संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) आदि और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान के लिए है।

5.02 **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल):** यह पूर्व सोवियत संघ के तकनीकी व वित्तीय सहयोग से भारत में स्थापित किया गया तट पर बसा पहला कारखाना है। परियोजना की सभी इकाईयां जुलाई 1992 तक स्थापित की जा चुकी हैं। इस्पात संयंत्र की अन्तिम लागत 8529.13 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी। परिव्यय 3 मिलियन टन स्टील संयंत्र के शेष भुगतान और परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) के लिए है। आर.आई.एन.एल. के लिए कोई बजटीय व्यवस्था नहीं की गई है।

5.03 **स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एस.आई.आई.एल.):** इसमें परिवर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) के लिए प्रावधान किया गया है। बजट में किया गया पूरा प्रावधान बजटीय सहायता के माध्यम से है।

5.04 **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड:** यह कम्पनी आधुनिक इस्पात कारखाने और इस्पात क्षेत्र से बाहर की परियोजनाओं का सम्पूर्ण निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में निगमित की गई थी। प्रावधान विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्य आरम्भ करने के लिए निर्माण उपस्करों की स्वरीद और मौजूदा उपस्कर/मशीनरी को सुधारने तथा संबंधित पूंजी व्यय के लिए है। बजट में किया गया पूरा प्रावधान बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।

5.05 **भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (बी.आर.एल):** इसके नियंत्रण में चार एकक हैं: भंडारीदाह रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र, रांची रोड रिफ्रेक्टरी संयंत्र, भिलाई रिश्वैक्टरी संयंत्र तथा आई. एफ.आई.सी.ओ. को रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र। प्रावधान रिफ्रेक्ट्रीज के कास्टिंग के लिए और परिवर्द्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) के लिए किया गया है जिसे आंशिक रूप से बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।

5.06 **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.):** यह देश में लौह-अयस्क और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अनेक अन्य खनिजों जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैग्नेसिट, ग्रेफाइट, टंगस्टन और टिन आदि के विकास और दोहन में रत है। इसमें डिपोजिट 10/11 ए:यूनिफ्लो सिस्टम, कुमारास्वामी-1 चरण एवं II बीचसैन्ड, एनडीएमसी लौह एवं इस्पात संयंत्र गीदम, निक्षेप 14/11सी स्थित टीसी संयंत्र अन्य अफ्रीकी देशों में स्वर्ण भण्डार, डायमंड माइनिंग परियोजना अंगोला, तंजानिया आदि में स्वर्ण खनन संयुक्त उद्यमों में निवेश जैसी स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और बजट-बाह्य स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

5.07 **कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड:** इसकी स्थापना मुख्य रूप से ईरान को निर्यात के लिए लौह कंसन्ट्रेट अयस्क उत्पादन करने के लिए की गई थी। लौह अयस्क कंसन्ट्रेट को लेने की ईरान की असमर्थता के फलस्वरूप करार के अनुसार, 3 मिलियन टन कंसन्ट्रेटों का प्रयोग करने के लिए एक पेलेट संयंत्र मई 1981 में अनुमोदित किया गया था। 116.65 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यान्वित परियोजना ने अप्रैल, 1987 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया है। कोक भट्टी परियोजना, लौह अयस्क की टेलिग्स से प्राप्ति, नोर्लर्बीडू खान विकास, विद्युत परियोजना, डक्राइल आयस स्पन पाइप प्लांट संवर्द्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.), तथा अनुसंधान एवं विकास और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

5.08 **मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड (एम.ओ.आई.एल.):** यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनी है। यह देश में उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी स्वदेशी उत्पादक कम्पनी है। भूमिगत खानों की ढालों में अयस्क संचालन का यांत्रिकीकरण, डोंगरी बुजुर्ग में शुष्क प्रक्रिया अपनाकर उच्च सघनता चुम्बकीय पृथक्करण संयंत्र, संयंत्र परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.), अनुसंधान व विकास/व्यवहार्यता अध्ययन और टाउनशिप। जैसी निष्पादित स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है। कुल आयोजना परिव्यय को बिना किसी बजटीय सहायता के आंतरिक एवं बाह्य

बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

**5.09 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज:** बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड सरकार द्वारा अक्टूबर 1980 में अधिग्रहीत मुख्यतः स्नान और रिफ्रेक्टरी कार्यों में लगी हुई है। प्रावधान परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) योजनाओं जो बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित की जाती हैं, के लिए है।

**5.10 मैकॉन लिमिटेड:** यह प्राथमिक अभिकल्पना, अभियान्त्रिकी और परमशी संगठन न केवल लोहा और इस्पात उद्योगों, बल्कि गैर-फ़ैरस धातु, रासायनिक, स्नान, रिफ्रेक्टरी, विद्युत संयन्त्र, पर्यावरणीय अभियान्त्रिकी, सामान्य अभियान्त्रिकी, सीमेण्ट और समुद्र विज्ञान अभियान्त्रिकी उद्योगों को भी अपनी सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें संयुक्त उद्यमों में निवेश, अनुसन्धान व विकास स्कीमों तथा कम्प्यूटरों के लिए प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

**5.11 एम.एस.टी.सी. लि.:** कम्पनी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पन्न होने वाले लौह कबाड़े और अन्य गौण उत्पादों की बिक्री, अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों से कबाड़े और अधिशेष भंडारों आदि की बिक्री का कार्य करती है। यह अयस्क और गैर-अयस्क स्क्रेप, तैयार इस्पात और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी करता है। यह प्रावधान इसके विविधीकरण कार्यक्रमों के एक भाग के

रूप में कम्पनी की संयुक्त उद्यम में प्रविष्टि के रूप में किया गया है। सम्पूर्ण परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। कुल योजना परिव्यय बजटीय समर्थन मांगे बिना आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

**5.12 फ़ैरो स्क्रैप निगम लि. एफ.एस.एन.एल.:** एम.एस.टी.सी. की एक सहायक कंपनी संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसमें मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० के 60 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, शेष 40 प्रतिशत शेयरों का धारक मैसर्स हार्सको कारपोरेशन आइ.एन.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका है। कम्पनी बर्नपुर, भिलाई, बोकारो और राउरकेला विजाग और दुर्गापुर में स्थित इस्पात संयंत्र के लौह-चूर्ण और कूड़ा-कर्कट से मिलने वाली कतरनों से पुनःप्राप्ति तथा उस का पुनः संसाधन करते हैं। लौह-चूर्ण को पुनः संसाधित करने और कूड़े-कर्कट से लौह और इस्पात प्राप्त करने के लिए फ़ैरो स्क्रैप निगम लि० को विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। कम्पनी को विभिन्न प्रकार के उपकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना है। इस प्रकार के उपकरणों के नियमित प्रयोग के लिए भी कम्पनी को संवर्द्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन का आश्रय लेना पड़ेगा। सम्पूर्ण योजना परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

**5.13 अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी मिशन:** इसमें अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को वित्त पोषित करने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिए प्रावधान किया गया है।